जमाबंदी वाद सं० :– 238

प्रश्नगत भूमि मौजा ......तोरपा...... खाता सं० ......183...... प्लॉट सं० ......1235......

रकबा ......4.54 एकड़...... से संबंधित है। यह भूमि आर०एस० खतियान में गैरमजरूआ खास भूमि तथा पंजी II में बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के नाम दर्ज पाया गया। झारखण्ड सरकार की उक्त भूमि को अवैध नहीं माना जा सकता है। अतः 4h की कार्रवाही समाप्त की जा सकती है।

राजस्व कर्मचारी

अंचल निरीक्षक

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
14/9/2020	**अभिलेख उपस्थापित,** मूल पंजी II/जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। खाता सं0.....183..... खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास भूमि है। नियमानुसार इस भूमि के बंदोबस्ती के उपरांत लगान निर्धारण होने के बाद इसे बंदोबस्ती प्राप्त रैयत के नाम के साथ पंजी II में अंकित किया जाना था परन्तु मौजा .....तोरपा..... की खाता सं0 .....183..... की गैरमजरूआ खास भूमि को केवल बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के नाम से अंकित कर दिया गया है । इसे अवैध/संदिग्ध जमाबंदी नही माना जा सकता है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत मौजा .....तोरपा..... पर बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के नाम से कायम जमांबदी को अवैध/संदिग्ध जमांबदी नही मानते हुए भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत प्रारंभ की गई इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है। 14/9/2020 अंचल अधिकारी तोरपा।	